न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी— डॉ0 सूरज सिंह नेगी

सिविल प्रकरण संख्याः— 15/2017 तारीख रजू 24.03.2017

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी,कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर।

...........आवेदक

बनाम

1. विरेन्द्र सिंह गुर्जर पुत्र लखन लाल गुर्जर जाति गुर्जर निवासी ग्राम बाडोलाास तह0 व जिला सवाई माधोपुर मैसर्स बालाजी एजेंसी खीरनी मोड, पोस्ट भाडौती जिला सवाई माधोपुर।
2. शिव दत्त पाण्डे पुत्र स्व0 लोकमनी पाण्डे निवासी 31 फ्रेण्डस कालोनी वार्ड नं0 31 पोस्ट एवं जिला अलवर (नोमिनी) मैसर्स वरूण बेवरेजेज लिमिटेड एसबीबीजे बैंक के सामने पोस्ट सिंकदरा जिला दौसा।
3. मैसर्स वरूण बेवरेजेज लिमिटेड एसबीबीजे बैंक के सामने पोस्ट सिंकदरा जिला दौसा।
4. दिनेश आर्य पुत्र श्री रामकिशन आर्य निवासी ई एम—2, फ्लैट नं0 301 बी डी आई सनशाईन अलवर बाईपास भिवाडी —301019 (नोमिनी) मैसर्स वरूण बेवरेजेज लिमिटेड प्लॉट नं0 एस पी 290—292 रिको इण्डस्ट्रीयल एरिया, फेज—7 चौंपकी, भिवाडी जिला अलवर 301019
5. मैसर्स वरूण बेवरेजेज लिमिटेड प्लॉट नं0 एस पी 290—292 रिको इण्डस्ट्रीयल एरिया, फेज—7 चौंपकी, भिवाडी जिला अलवर 301019
6. राजकुमार (असिस्टेन्ट मैनेजर क्वालिटी) (नोमिनी) मैसर्स वरूण बेवरेजेज लिमिटेड गांव अली असगरपुर पोस्ट गंजबर जी टी रोड, पानीपत —132103
7. मैसर्स वरूण बेवरेजेज लिमिटेड गांव अली असगरपुर पोस्ट गंजबर जी टी रोड, पानीपत —132103 (निर्माता फर्म)

.... अभियुक्तगण

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत धारा 68 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii)

निर्णयः— दिनांक 17/7/23

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री नरेश चेजारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी (आवेदक) ने अन्तर्गत धारा 68 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक दिनांक 17.05.2016 को समय 02.30 पी.एम. पर मैसर्स बालाजी एजेंसी खीरनी मोड पोस्ट भाडौती जिला सवाई माधोपुर पर पहुँचा। वहॉ पर विरेन्द्र सिंह गुर्जर पुत्र लखन लाल गुर्जर उम्र 38 वर्ष जाति गुर्जर निवासी ग्राम बाडोलास तह0 व जिला सवाई माधोपुर (फर्म मालिक एवं मौके पर विक्रेता) उपस्थित मिला। आवेदक ने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया तत्पश्चात विक्रेता की उपस्थिति में

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 12:10:29 IST
Reason: SelfAttested

गोदाम का निरीक्षण किया विक्रय हेतु प्रदर्शित पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर, फ्रुट ड्रिंक, स्वीटण्ड कार्बोनेटेड वाटर आदि रखी हुई थी। गोदाम में खाद्य पदार्थ **Fruit Baverages with Real Mango Pulp (Slice)** 1.75 लीटर पैट बोतल की 20 पैट बोतले रखी हुई थी। विक्रेता से खाद्य रजिस्ट्रेशन पत्र/खाद्य अनुज्ञा पत्र एवं खाद्य पदार्थ **Fruit Baverages with Real Mango Pulp (Slice)** 1.75 लीटर पैट बोतल का क्रय बिल मांगा, विक्रेता द्वारा खाद्य अनुज्ञा पत्र एवं क्रय बिल की प्रति पेश की। तत्पश्चात खाद्य पदार्थ **Fruit Baverages with Real Mango Pulp (Slice)** 1.75 लीटर पैट बोतल का नमूना वास्ते जॉच हेतु लेने की सूचना फार्म नम्बर 5ए, की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति में तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य पदार्थ **Fruit Baverages with Real Mango Pulp (Slice)** 1.75 लीटर पैट बोतल की 04 पैट बोतल वास्ते नमूना जॉच हेतु क्रय कर राशि 360/— रूपये नकदी चुकाकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर उपस्थित गवाहन के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वंय आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खरीदे गए खाद्य पदार्थ **Fruit Baverages with Real Mango Pulp (Slice)** 1.75 लीटर पैट बोतल की 04 पैट बोतल को मूल ही लेकर 04 नमूना भाग तैयार कर आवेदक द्वारा चार लेबल तैयार किये गये जिन पर नमूने का विवरण अंकित कर प्रत्येक नमूना भाग पर एक—एक लेबल चिपकाकर एवं चारों नमूना भागो को अलग—अलग मोटे खाकी कागज में लपेटकर अभिहित अधिकारी सवाईमाधोपुर से प्राप्त पेपर स्लिप क्रमांक **एच—920** प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाकर तथा धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी कर प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें एवं सीलबंद नमूनों पर गवाहों के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर आवेदक द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे में लिया गया। आवेदक द्वारा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता विरेन्द्र सिंह गुर्जर पुत्र लखन लाल गुर्जर ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फार्म नम्बर 6 की प्रतियॉ तैयार कर नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म नम्बर 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबंद कर सील मोहर 2 प्रति फार्म नम्बर 6 की अलग—अलग से सील्ड लिफाफे में कैलाश सैन, वाहन चालक को खाद्य विश्लेषक, जयपुर को जमा करवाकर अलग—अलग रसीद प्राप्त की। दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथ भाग मय फार्म सं0 6 की प्रति के डी.ओ. (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी) सवाई माधोपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2016/2040 दिनांक 28.07.2016 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/1526/एक्ट/2016/2523 दिनांक 16.07.2016 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ **Fruit Baverages with Real Mango Pulp (Slice)** 1.75 लीटर पैट बोतल मिसब्राण्ड पाया गया।

अतः प्रकरण में ऊपर अंकित अभियुक्तगण द्वारा मिसब्राण्ड (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zf)(C)(i)) प्रकृति के खाद्य पदार्थ **Fruit Baverages with Real Mango Pulp (Slice)** 1.75 लीटर पैट बोतल का निर्माण व विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाईमाधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 12:10:29 IST
Reason: SelfAttested

अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 में जुर्माने योग्य अपराध है।

न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्त को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्तगण जरिये वकील उपस्थित हुये तथा नोटिस का जवाब प्रस्तुत किया गया। बहस उभय पक्ष सुनी गयी।

अभियोजन अधिकारी ने न्याय निर्णयन आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया है कि अभियुक्त द्वारा मिसब्राण्डेड (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zf)(C)(i)) प्रकृति के खाद्य पदार्थ **Fruit Baverages with Real Mango Pulp (Slice)** 1.75 लीटर पैट बोतल का निर्माण व विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लघंन किया है अतः अभियुक्त पर अधिकत्तम शास्ति से दण्डित किया जावें।

अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में तर्क दिया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्रार्थी की दुकान से खाद्य पदार्थ **Fruit Baverages with Real Mango Pulp (Slice)** 1.75 लीटर पैट बोतल का सेम्पल भरा गया था जिसको खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट में खाद्य सुरक्षा एवं मानक (खाद्य उत्पादों के मानको एवं खाद्य योजक) विनियमन 2011 के विनियमन 3.1.10(1) का उल्लंघन माना जाकर मिसब्राण्डेड प्रकृति का माना गया है जबकि हमारे उत्पाद के द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक (खाद्य उत्पादों के मानको एवं खाद्य योजक) विनियमन 2011 के विनियमन 3.1.10(1) का किसी भी प्रकार से उल्लंघन नहीं किया गया है। खाद्य विश्लेषक की जांच रिपोर्ट में केवल यह कहा गया है कि घोषणा विनियमन 3.1.10(1) के अनुसार नहीं की गई है, हांलाकि यह बताने में विफल रहे कि लेबल में क्या कमी है। हमारी कम्पनी द्वारा उत्पाद की अन्तराष्ट्रीय मानको की गुणवत्ता के उपाय किये गये है तथा निर्धारित सख्त गुणवत्ता मापदंडों का भी पालन करती है। अंत में अभियुक्तगण द्वारा प्रकरण खारिज करने हेतु निवेदन किया गया।

उभय पक्ष की बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त मै इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट से ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/1526/एक्ट/2016/2523 दिनांक 16.07.2016 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ **Fruit Baverages with Real Mango Pulp (Slice)** 1.75 लीटर पैट बोतल मिसब्राण्ड (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii)) पाया गया। अभियुक्त द्वारा यह तर्क कि उत्पाद नमूना की जांच रिपोर्ट में खाद्य सुरक्षा एवं मानक (खाद्य उत्पादों के मानको एवं खाद्य योजक) विनियमन 2011 के विनियमन 3.1.10(1) का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है तथा नमूने को गलत मिसब्राण्डेड प्रकृति का माना गया है उक्त संबंध में अभियुक्त को किसी भी प्रकार की आपत्ति थी तो अभियुक्त को खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर निर्धारित समयावधि के भीतर आपत्ति दर्ज करवाते हुए रैफरल लेब में भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी को निवेदन करना चाहिए था जो कि उनके द्वारा नहीं किया गया है।

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 12:10:29 IST
Reason: SelfAttested

उक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्तगण द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की उप धारा 26 (2)(ii) अपराध कारित करने का दोषी माना जाकर दोष सिद्व अपराधी करार दिया जाता है तथा उक्त आपराधिक कृत्य के कारित करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम, 2011 के धारा 52 के अन्तर्गत आर्थिक शास्ति राशि के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान प्रावधित है।

अतः अभियुक्त को मिसब्राण्डेड (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii)) प्रकृति के खाद्य पदार्थ **Fruit Baverages with Real Mango Pulp (Slice)** 1.75 लीटर पैट बोतल का निर्माण एवं विक्रय करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के धारा 52 के अन्तर्गत अभियुक्त संख्या 1 लगायत 7 पर संयुक्त रूप से 21,000/–रू0 (अक्षरे इक्कीस हजार रूपये) की आर्थिक शास्ति राशि अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्त संख्या 1 लगायत 7 को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस के अन्दर–अन्दर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रेखांकित ड्राफ्ट द्वारा न्याय निर्णयन अधिकारी को जमा करावें, अन्यथा गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को तथा एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक 17.07.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(डॉ0सूरज सिंह नेगी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 12:10:29 IST
Reason: SelfAttested